"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती खुशी मलंग धर्मपत्नि श्री पंकज मलंग, आयु 24 वर्ष, निवासी-सुभाष पाल ठेकेदार के पास, रमन मंदिर, फाफाडीह रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अर्चना आत्मजा श्री अशोक कुमार रोहरा, निवासी-जैन मंदिर के पास, फाफाडीह रायपुर था तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों, फर्म के दस्तावेजों तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि में अंकित है. मेरा विवाह श्री पंकज मलंग वल्द श्री पवन मलंग, निवासी-सुभाष पाल ठेकेदार के पास, रमन मंदिर, फाफाडीह रायपुर के साथ हो चुका है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती खुशी मलंग रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती खुशी मलंग धर्मपत्नि श्री पंकज मलंग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ARCHANA ROHRA
D/o Late Ashok Kumar Rohra
Full Address-Near Jain Mandir,
Fafadih Raipur, Chhattisgarh

नया नाम

KHUSHI MALANG
W/o Pankaj Malang
Full Address-Subash Paal Thekadar,
Raman Mandir, Fafadih
Raipur, Chhattisgarh

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बसंत शाहजीत आत्मज श्री बाबूलाल शाहजीत, उम्र 34 वर्ष, निवासी-ग्राम कटगी, तहसील व थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर व एमफिल सेमेस्टर-एक की अंकसूची समेत समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बसंत कुमार कहार आत्मज श्री बाबूलाल कहार दर्ज है जो सही वह सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम बसंत शाहजीत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बसंत शाहजीत आत्मज श्री बाबूलाल शाहजीत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

बसंत कुमार कहार (Basant Kumar Kahar)
आत्मज श्री बाबूलाल कहार
निवासी- ग्राम कटगी, तहसील कसडोल
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नया नाम

बसंत शाहजीत (Basant Shahjeet)
आत्मज श्री बाबूलाल शाहजीत
निवासी- ग्राम कटगी, तहसील कसडोल
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोनू जैन पति श्री अविनाश अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी-एफ 404, अशोका हाइट्स मोवा, रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी सोनू जैन पिता श्री रविन जैन था. मेरा विवाह श्री अविनाश अग्रवाल पिता श्री बी. सी. अग्रवाल के साथ सम्पन्न हुई. विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सोनू अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं

अत: अब मुझे श्रीमती सोनू अग्रवाल पति श्री अविनाश अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमारी सोनू जैन
पिता श्री रविन जैन
निवासी-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सोनू अग्रवाल
पति अविनाश अग्रवाल
निवासी-एफ 404, अशोका हाइट्स
मोवा, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Prachi Sahu D/o Shri Santosh Kumar Sahu, उम्र 22 साल, निवासी– म. नं. बी–2, सड़क नं. 23, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं विद्यार्थी हूं तथा मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम Prachiya Sahu तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम Prachi Sahu दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Prachi Sahu रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे Prachi Sahu D/o Shri Santosh Kumar Sahu के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

PRACHIYA SAHU
D/o Shri Santosh Kumar Sahu
R/o H. No. B-2, Street 23, Ashish Nagar West,
Risali, Bhilai, Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नया नाम

PRACHI SAHU
D/o Shri Santosh Kumar Sahu
R/o H. No. B-2, Street 23, Ashish Nagar West,
Risali, Bhilai, Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खिलेश्वरी वर्मा पति श्री किशन लाल, उम्र 49 साल, निवासी – प्लाट नम्बर 214/3, व्हीआईपी नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं गृहणी हूं तथा मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम खिलेश्वरी बाई बघेल लिखा हुआ है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम खिलेश्वरी वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम खिलेश्वरी वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे खिलेश्वरी वर्मा पति श्री किशन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खिलेश्वरी बाई बघेल
पति श्री किशन लाल
निवासी – प्लाट नम्बर 214/3, व्हीआईपी नगर,
रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

खिलेश्वरी वर्मा
पति श्री किशन लाल
निवासी – प्लाट नम्बर 214/3, व्हीआईपी नगर,
रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभा देवी देवांगन पति श्री घनश्याम देवांगन, उम्र 44 वर्ष, निवासी-क्वा नं.-15 बी. एच. पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति घनश्याम देवांगन के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम (पत्नि का नाम) प्रभा देवांगन (Prabha Dewangan) दर्ज किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही व वास्तविक नाम प्रभा देवी देवांगन (Prabha Devi Dewangan) है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रभा देवी देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रभा देवी देवांगन पति श्री घनश्याम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती प्रभा देवांगन (Smt. Prabha Dewangan)
पति श्री घनश्याम देवांगन
निवासी-क्वा नं.-15 बी. एच. पॉकेट, मरोदा सेक्टर,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रभा देवी देवांगन (Smt. Prabha Devi Dewangan)
पति श्री घनश्याम देवांगन
निवासी-क्वा नं.-15 बी. एच. पॉकेट, मरोदा सेक्टर,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमराज पिता स्व. श्री मधुसूदन, आयु 42 वर्ष, निवासी-174 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूली रिकार्ड एवं मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हेमराज दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम हेमराज सोनवानी दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "सोनवानी" जोड़कर नया नाम /उपनाम हेमराज सोनवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हेमराज सोनवानी पिता स्व. श्री मधुसूदन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हेमराज
पिता स्व. श्री मधुसूदन
निवासी-174 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हेमराज सोनवानी
पिता स्व. श्री मधुसूदन
निवासी-174 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

सामान्य वनमंडल धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक/91.— सामान्य वनमण्डल धमतरी के अन्तर्गत दुगली परिक्षेत्र को जबर्रा से खरका वनमार्ग मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 01-02-2016 को मस्टर रोल बुक क्रमांक 4445 पर्त क्रमांक 35 जारी किया गया था एवं C/XII गोंदलानाला SCI कक्ष क्रमांक 260 रकबा 158.625 हे. में मार्किंग कार्य हेतु मस्टर रोल बुक क्रमांक 4443 पर्त क्रमांक 27 से 31 तक दिनांक 04-12-2015 को जारी किया गया था. मस्टर रोल सर्टिफिकेट क्र. 6647 पर्त क्र. 43,44,45,49 इस कार्यालय के चालान क्र. 7059 दिनांक 20-12-2006 को जारी किया गया था. 2. परिसर पश्चिम दुगली के प्रभारी श्री एरावत सिंह मधुकर के द्वारा भुगतान करवाकर कार्यालय में जमा करने हेतु पूर्ण प्रविष्टि किया हुआ मस्टर रोल एवं अन्य प्रमाणक जो निम्नानुसार है, मोटर सायकल क्रमांक CG 05 W 4409 में रखा था. जो अतिक्रमित क्षेत्र उमरादैहान, बोराईनाला एवं ठेलकाभर्री में अतिक्रमणकारियों को हटाने के दौरान गुम हो गया, जिसे काफी ढूंढने का प्रयास किया गया, परन्तु नहीं मिल पाया, जिसका पंचनामा कराया जाकर पुलिस थाना दुगली में प्राथमिक सूचना क्र. 15116 दिनांक 15-04-2016 दर्ज कराया गया.

क्र.	मस्टर रोल/प्रमाणक	भुगतान शुदा गुम प्रमाणक क्रमांक	कार्य अवधि	भुगतान की राशि
1.	MR 4445/35 MRC No. 6647/49	165	27-12-2015 to 08-01-2016	27947.00
2.	MR 4443/27, 28 MRC No. 6647/43	166	05-12-2015 to 10-12-2015	50935.00
3.	MR 4443/29, 30 MRC No. 6647/44	167	01-12-2015 to 21-12-2015	68516.00
4.	MR 4443/31 MRC No. 6647/45	168	22-12-2015 to 28-12-2015	41921.00
5.	F. A. प्रमाणक 1 नग	177	28-03-2016 to 31-03-2016	34416.00
		योग		**2233735.00**

3. गुमशुदा मस्टर रोल एवं प्रमाणिक की खोजबीन की पश्चात परिक्षेत्र अधिकारी दुगली द्वारा गुम होने की पंचनामा एवं थाना प्रभारी दुगली को दी गई सूचना की प्रति सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को अपने पत्र क्रमांक 361 दिनांक 08-04-2016 के माध्यम से दी गई है.

अत: परिक्षेत्र अधिकारी दुगली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश करता हूं कि :-

मस्टर रोल बुक क्रमांक 4445 पर्त क्रमांक 35 एवं मस्टर रोल बुक क्रमांक 4443 पर्त क्रमांक 27 से 31 तक तथा मस्टर रोल सर्टिफिकेट क्र. 6647 पर्त क्र. 43, 44, 45, 49 को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित करते हुये संबंधित परिसर रक्षक, पश्चिम दुगली को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त मस्टर रोल एवं प्रमाणक प्राप्त होते हैं, तो समीपस्थ पुलिस थाना या वनमंडल कार्यालय में जमा करें. किसी व्यक्ति द्वारा उसे अवैधानिक रूप से रखे हुये या दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

विवेक आचार्य,
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.